उत्तरांचल सर्विसेज हाऊसिंग एसोसिएशन, देहरादून।

ई–मेल : secyusha09@gmail.com
वेबसाइट : www.ushadoon.org
सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–0135–2607608

दिनांक जनवरी 25, 2016

दिनांक 25.01.2016 को साँय 1900 बजे उषा सोसाईटी के क्लब हाऊस में आहूत उषा कार्यकारणी समिति की गोष्ठी का कार्यवृत्त :–

<u>बैठक में उपस्थिति</u> :–

1– अध्यक्ष – श्री सुभाष जोशी
2– उपाध्यक्ष – श्री एल0एम0 पन्त
3– सचिव – श्री एस0के0 शुक्ल
4– कोषाध्यक्ष – श्री आनन्द बर्द्धन
5– सदस्य – श्री अशोक कुमार
6– सदस्य – श्री विजय कुमार
7– सदस्या – श्रीमती शान्ता रविशंकर
8– सदस्या – श्रीमती पद्मा कुमारी मुरूगेशन

<u>विशेष उपस्थिति</u> :– श्री एन0 रविशंकर, पूर्व अध्यक्ष, उषा कार्यकारिणी।

श्री रविन्द्र खण्डूजा, चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट

कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष श्री ए0के0 राना को कतिपय कारणों से उपस्थिति से छूट प्रदान की गयी। विगत कार्यकारिणी की गोष्ठी में लिये गये निर्णयों की समीक्षा करते हुए विचार–विमर्श हुआ :–

<u>बिन्दु संख्या 01</u> –दिनांक–26.12.2015 को सम्पन्न गोष्ठी में लिये गये निर्णयों की समीक्षा एवं उन पर विचार विमर्श

सदस्यों पर बकाया धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि विगत गोष्ठी के उपरान्त इस माह अब तक 04 सदस्यों से लगभग दो लाख रूपये की राशि अनुरक्षण व्यय के रूप में प्राप्त हुई है। शेष 21 सदस्यों पर देनदारी अभी भी शेष है। पूर्व गोष्ठी में लिये गये निर्णयानुसार सभी सदस्यों को एजीएम के कार्यवृत्त की प्रति उपलब्ध कराई गयी एवं जो सदस्य कालोनी में आवासित नहीं हैं, उन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रेषित की गयी। सभी बकायेदारों को बकाया राशि की सूची सहित कार्यवृत्त की प्रति भेजी गयी। कोषाध्यक्ष श्री आनन्द बर्द्धन से अपेक्षा की गयी कि इस सूची को व्हाट्स–एप पर भी डाल दिया जाये।

सोसाइटी के भूमि सम्बन्धी मूल कागजातों के सम्बन्ध में स्टेट बैंक की राजपुर रोड शाखा से जानकारी प्राप्त हुई कि लोन सम्बन्धी मूल कागजात बैंक के 1, न्यू कैण्ट रोड, देहरादून स्थित प्रशासनिक कार्यालय में जमा होते हैं अतः इनके सम्बन्ध में भी वहीं से जानकारी की जाये अतः बैंक की न्यू कैण्ट स्थित शाखा से पूर्ण जानकारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

सोसाइटी की ओपेन–किचन की सामाग्री रखने हेतु आवश्यकतानुसार आलमारी, फर्श का निर्माण करवा दिया गया है। कुछ सदस्यों द्वारा किचन हेतु डायनिंग–सेट निःशुल्क प्रदान किये गये हैं, जिन्हें आलमारियों में रखवा दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कालोनी के तीनों पार्कों में फूलों के बीज डाल दिये गये हैं एवं रोड साइड पेवमेंट में रंग–रोगन करा दिया गया है।

<u>बिन्दु संख्या 02</u> –परिसर में स्टेट बैंक के निर्माण के सम्बन्ध में बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में जारी विज्ञप्ति के सम्बन्ध में विचार विमर्श

इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा स्थापना हेतु भूस्वामियों से निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत निविदायें आमन्त्रित की गयी हैं। बैंक द्वारा जारी विज्ञप्ति एवं उनकी शर्तों से सम्बन्धित निविदा अभिलेखों का अध्ययन किया गया। निविदा भेजने से पूर्व अन्य स्रोतों से भी जानकारी करना आवश्यक समझते हुए श्री एल0एम0 पन्त, उपाध्यक्ष से अपेक्षा की गयी कि वे अपने स्तर से अन्य बैंकों से आवश्यक जानकारी कर अवगत करायेंगे। उसके पश्चात ही निविदा भरकर भेजा जाना उचित होगा।

आर्थिक दृष्टि से इस बात पर भी चर्चा की गयी कि बैंक हेतु भवन बैंक से लोन लेकर बनाया जाये अथवा सोसाइटी के कॉर्पस से बनाया जाये। कुछ सदस्यों द्वारा यह राय भी दी गयी कि इस हेतु आंशिक राशि सम्बन्धित बैंक से दूरगामी हितों के दृष्टिगत लोन के रूप में अवश्य लिया जाना चाहिये। इस पर लगभग 30 लाख रूपये का शुरूआती आकलन किया गया।

सोसाइटी के सी0ए0 श्री खण्डूजा स्ट्राँग–रूम सहित सम्पूर्ण भवन का आकलन अपने स्तर से कराकर अवगत करायेंगे एवं सोसाइटी को इस कार्य से होने वाले लाभ अथवा हानि पर अपनी स्पष्ट राय रखने हेतु भी उनसे अनुरोध किया गया।

इस हेतु बैंक के मूल कागजातों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही श्री आनन्द बर्द्धन से अपेक्षा की गयी कि वे इससे सम्बन्धित खसरा खतौनी उपलब्ध करा देंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री एन0 रविशंकर के भवन के पीछे क्षतिग्रस्त बाउण्ड्री–वाल की मरम्मत कराने के भी निर्देश दिये गये। श्री वी0 मुरूगेशन के भवन के आगे बिजली का तार बदलने हेतु भी निर्देशित किया गया।

सोसाइटी की सुरक्षा हेतु किसी एजेंसी को नियुक्त करने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार के द्वारा दी गयी जानकारी के उपरान्त वर्तमान व्यवस्था को ही जारी रखते हुए इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया गया तथा मेन–गेट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु भी सहमति प्रदान

की गयी। इसके अतिरिक्त मौजूदा स्टाफ (सफाई कर्मी, माली) के वेतन में 500/रूपये की बढ़ोतरी हेतु भी निर्देशित किया गया।

गोष्ठी में निर्णय लिया गया कि वर्ष 2016—17 की अनुरक्षण धनराशि, जो 31 मार्च तक जमा कराई जाती है, पर अप्रैल माह की सामाप्ति के उपरान्त पेनाल्टी राशि भी जोड़ दी जायेगी अतः सभी सदस्य वर्ष 2016—17 की अनुरक्षण धनराशि प्रत्येक दशा में अप्रैल माह की सामाप्ति के पूर्व जमा करा दें।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा वार्षिक अनुरक्षण की शेष धनराशि की वसूली हेतु पत्र भेजने को बताया गया। अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों का आभार व्यक्त कर गोष्ठी समाप्त की गयी।

हस्ता0
(एस0के0 शुक्ल)
ऑनरेरी सचिव
उत्तरांचल सर्विसेज हाउसिंग एसोसिएशन,
देहरादून।

प्रतिलिपि—1— समस्त सदस्यगण, उषा कार्यकारिणी, देहरादून।
2— सी0ए0 श्री रविन्द्र खण्डूजा